न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 27/2019 दिनांक–03.12.2019

सुमिता देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र जाति जागिड तन मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– आवेदक

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील वादी : – श्री चन्द्रकांत शर्मा
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 16.12.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम देवीपुरा तन में भूमि खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.85 हैक्टर स्थित हे। इस भूमि में 1/3 हिस्सा बाबूलाल पुत्र रघुनाथ का तथा रघुनाथ पुत्र पन्ना का हिस्सा 38/11 तथा प्रार्थीया सुमिता का हिस्सा 12/37 है व इसी अनुसार काश्त व कब्जा है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड बना हुआ है। जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीया ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र दिनांक 13.025.2019 के द्वारा खरीदा था। छाया प्रति विकय पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है विकय पत्र में प्रार्थीया का नाम श्रीमती सुमिता देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र सही लिखा हुआ है। परन्तु जब पटवार हल्का के नामान्तरण भरा तब सुमिता की जगह गलती सुनीता देवी लिखकर राजस्व रिकार्ड बना दिया जबकि विकय पत्र में आधारा कार्ड में राशनकार्ड में व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम सुमिता देवी पत्नी सुभाष चन्द्र ही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से सुनिता देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड सुमिता देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र दर्ज किया जावे। प्रार्थीया ने जब राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 05.10.2019 को प्राप्त की तब उसे इस गलत अंकन का पला चला तो उसका एक प्रार्थना पत्र दुरूस्ती नाम हेतु तहसीलदार नवलगढ को दिया परन्तु नाम दुरूस्त नही किया इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत पेश कर अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

...के राजस्व रिकार्ड में सुनिता देवी पत्नी सुभाष चन्द्र के स्थान पर सुमिता देवी पत्नी सुभाष चन्द्र दुरूस्त करने का आदेश प्रदान कर दुरूस्ती करवाने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर अनापति जाहिर कि है कि सुमिता देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र जाति जागिड़ ने दिनांक 13.02.2019 को रूघनाथ पुत्र श्री पन्ना जाति जागिड़ के खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.85 हैक्टर ग्राम देवीपुरा में 0.60 हैक्टर भूमि क्रय की थी। जो दिनांक 03.02.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 439 में पृष्ट संचख्या 157 कम संख्या 201903451100475 पर पंजीबंद विकय पत्र द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा की गइ थी, जिसका नामान्तरकरण दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटी में सुमिता देवी पत्नी सुभाष चन्द्र के स्थान पर सुनिता देवी पत्नी सुभाष चन्द्र गलत दर्ज हो गया। अतः विक्रय पत्र पंजीबद्ध दस्तावेज व प्रार्थीनी स्वयं के आधार कार्ड राशनकार्ड दस्तावेज के आधार पर शुद्ध नाम सुमिता देवी पत्नी सुभाष चन्द्र हिस्सा 12/37 जाति जागिड़ सा0 पुरोहितो की ढाणी मोहनवाडी खातेदार शुद्ध किया जाना उचित रहेगा। अतः प्रार्थीगण दस्तावेजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, बैंक पास बुक व पेंशन कार्ड सभी में नानची देवी स्त्री हरफूल सिंह दर्ज है अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवीपुरा की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.85 हैक्टर में हिस्सा 12/37 में नाम सुनिता पत्नी सुभाष चन्द्र के स्थान पर सुमिता देवी पत्नी सुभाष चन्द्र जाति जागिड़ दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.01.24 18:02:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: